बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 274248 पटना, दिनांक 07/06/16

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(प्राक्कलन समिति 153वाँ)-102-44/2016

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 153वाँ प्रतिवेदन में सन्निहित अनुशंसाओं का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना एवं मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई है तथा इसके लिए प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों की उदासीनता एवं कारगर अनुश्रवण नहीं होना बताया गया है इसके आलोक में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी है :-

(1) विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित राशि के ससमय व्यय हेतु कारगर प्रबंधन की व्यवस्था की जाय तथा सचिव स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाय ।

(2) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन इंदिरा आवासों का नियमित निरीक्षण किया जाय तथा इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी मासिक करें ।

(3) मुख्य मंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना को ग्रामीण स्तर पर व्यापक रूप से बैनर पोस्टर एवं पंचायत भवनों, सरकारी भवनों पर लिखकर प्रचारित किया जाय ।

(4) इंदिरा आवास योजना, मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना की आवंटित राशि को शत् प्रतिशत खर्च करने वाले जिलों में जिला पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जाय ।

विदित है कि निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के लिए उपर्युक्त वर्णित दोनों योजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण है । अतएव इन योजनाओं का कार्यान्वयन तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए था किन्तु जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार माह फरवरी तक मुख्य मंत्री जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित 28965.00 लाख के विरूद्ध मात्र 5254.90 लाख रूपये का ही उपयोग किया जा सका था जबकि जिलों द्वारा पूर्व से चिन्हित लाभुकों के लिए ही निधि आवंटित की गई थी ।

इसी प्रकार मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिलों को 1387.34 लाख रूपये आवंटित किये गये थे जिसके विरूद्ध मात्र 1008.94 लाख रूपयों की ही निकासी जिलों द्वारा की गई जबकि व्यय मात्र 154.90 लाख रूपये किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि जिलों की उदासीनता के कारण अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान देकर योजना का कार्यान्वयन कराने का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है ।

अत: इस संदर्भ में निम्नांकित कार्रवाई जिला स्तर से सुनिश्चत किये जाने की आवश्यकता है :-

(1) अनुशंसा के आलोक में कार्य योजना बनाकर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाय ।

(2) योजना हेतु आवंटित राशि के ससमय व्यय हेतु कारगर प्रबंधन की व्यवस्था की जाय ।

(3) योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु समिति की अनुशंसा तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय ।

(4) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किये जाएँ तथा योजना को सफल बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहने का निदेश उन्हें दिया जाय ।

(5) इस दिशा में बेहतर कार्य करने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाय तथा उन्हें पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाय ।

(6) इसी प्रकार खराब उपलब्धि वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए उन्हें पूर्ण तत्परता एवं कड़ाई के साथ योजना को कार्यान्वित कराने का निदेश दिया जाय ।

(7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया जाय कि योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीनता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

(8) योजना की उपलब्धियों के संबंध में मासिक आधार पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

अत: अनुरोध है कि समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 274248 पटना, दिनांक 07/06/16

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव